बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि ७ नवम्बर, १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में तिथि ७ नवम्बर १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीप नारायण सिंह—महोदय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के सप्तम् सत्र (फरवरी—जून, १९६०) के शेष १७०३ अनागत प्रश्नों में से २५६ प्रश्नों का उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ। शेष प्रश्नों का उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूची।

क्रम सं०।	सदस्यों का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री शुभ नारायण प्रसाद	२०
२	श्री बिपिन बिहारी सिंह	४५, १०६६, १२७८, १९२८, २९५४
३	श्री बद्री सिंह	११८, ७०५, ११३४, ११३५, १८६१, ३१५८।
४	श्री कार्यानन्द शर्मा	१३१, ८८५, ९४१, १०१२, ११६४
५	श्री सभापति सिंह	२११, ९४९, ११७२, १६२१, २७७३, २९६४।
६	श्री चन्दू राम	२१३, ५३०, १६३६
७	श्री रामचरण किस्कू	२१४, १७७३, २३१०
८	श्री फिदा सैन	२१५, १७४५, २५९२
९	श्री शीतल प्रसाद भगत	२१६, २६००
१०	श्री देवनन्दन प्रसाद	२१७, ८३७, २४३८, २५८२
११	श्री लखन लाल कपूर	२१८, ३४५, १७७६, २१६८
१२	श्री जवार हुसैन	२३९

(२) क्या यह बात सही है कि सिसहनी ग्राम के दक्खिन हरिजन पोखरा के पास स्थानीय रामचरित्र सिंह, वल्द जगदीश सिंह ने रोड को काट कर अपना धान का खेत पटाया और उसे यों ही छोड़ दिया जिससे वर्षा होने पर रोड पर एक खाई बन गयी है;

(३) क्या यह बात सही है कि रामचरित्र सिंह ने उस पोखरा के सटे हुए दक्खिन लगभग ७ कट्ठा रोड के पश्चिमी भाग की जमीन काट कर अपने खेत में मिला ली है जिससे दोनों तरफ से एकदम बैलगाड़ी का आना-जाना बन्द हो जाता है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामचरित्र सिंह पर उचित कार्रवाई करना चाहती है; यदि हां, तो कबतक?

श्री मकबूल अहमद—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) हां, यह बात सही है कि सिसहनी ग्राम के दक्षिण हरिजन पोखरा के समीप केवल श्री रामचरित्र सिंह ही नहीं बल्कि उस ग्राम की कुछ जनता ने धान के खेत को पटाने के लिये सड़क को सामूहिक रूप से काटा था। काटने से जो खाई हो गयी थी वह भर दी गयी है तथा आवागमन में बाधा नहीं है।

(३) उपर्युक्त सड़क की नापी के लिये जिला बोर्ड द्वारा अमीन की तैनाती कर दी गयी है। अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही यह निश्चित रूप से यथाकथित अवैध-अधिकार का विवरण जाना जा सकता है। सड़क पर बैलगाड़ी के आने-जाने में तत्काल (अभी) कोई बाधा नहीं है।

(४) अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही जिला बोर्ड द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

सड़क की मरम्मत।

*२८०२। श्री केशव प्रसाद—क्या मंत्री, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि एक लोकल बोर्ड की सड़क बख्तियारपुर थाना के ग्राम जहांगरा से रुपस महाजे होते हुए ग्राम राघोपुर जो कि हाजीपुर सबडिवीजन में पड़ता है, गई है;

(२) क्या यह बात सही है कि उस सड़क की मरम्मत गत लगभग पन्द्रह वर्षों से नहीं हुई है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जल्द-से-जल्द उस सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है?

श्री मकबूल अहमद—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) एवं (३) प्रश्न ही नहीं उठता।

ठीकेदार पर कार्रवाई।

*२८०३। श्री मंजूर अहमद—क्या मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सड़क विकास योजना के अन्तर्गत शाहाबाद जिला में सकड़ी-अखगांव रोड को चारो ओर से कुल्हरिया स्टेशन तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में पक्की कर देने के लिये करीब एक लाख नब्बे हजार रुपये का एस्टीमेट मंजूर कर शाहाबाद जिला बोर्ड को काम सम्पन्न करने की जवाबदेही दी गई है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क पर मिट्टी देने, ईंट बिछवाने, गिट्टी बिछाने तथा पीच करने के काम के अलावे ईंट, गिट्टी और अलकतरा की सप्लाई का सभी काम एक ही ठीकेदार को दिया गया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क पर करीब १२ लाख क्युबिक फीट मिट्टी देनी है जबकि पूरे एक वर्ष के अन्दर अभी तक सिर्फ दो लाख क्युबिक फीट मिट्टी देने का काम हुआ है ;

(४) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क को पक्की कर देने का काम मार्च, १९६० तक समाप्त कर देना था जबकि अभी तक चौथाई भी मिट्टी देने का काम पूरा नहीं हो सका तथा ईंट और गिट्टी बिछाने में अभी तक काम बिलकुल लगा ही नहीं है ;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठीकेदार पर कौन-सी कार्रवाई करने तथा सड़क बनाने की दिशा में कौन-सा प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

श्री मकबूल अहमद—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है पर सरकार द्वारा काम पूरा करने के बारे में कोई निश्चित समय नहीं निर्धारित किया गया है।

(२) सभी काम एक ही ठीकेदार को दिया गया है लेकिन अलकतरा बंगाल तार प्रोडक्ट से प्राप्त किया गया है।

(३) उक्त सड़क पर १२,९०,२६१ घनफीट मिट्टी देनी है जिसमें ३,५०,००० घन-फीट मिट्टी दी जा चुकी है।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है पर यह तिथि जिला पर्षद् द्वारा निश्चित की गई थी।

(५) मिट्टी नहीं मिलने के कारण ही इसका काम समय पर पूरा नहीं हो सका है ; कृषकों ने अनुविभागीय पदाधिकारी की जोरदार कोशिश के बाद भी अपने खेतों से मिट्टी देने में सहयोग नहीं दिया जबकि उनलोगों को क्षतिपूर्त्ति दी जा रही थी। अंत में मिट्टी के काम बन्द कर अस्थाई भूमि अर्जन के लिये समाहर्त्ता से पत्राचार करना पड़ा है। भूमि पर अधिकार प्राप्त होते ही पुनः मिट्टी देने का काम तीव्र गति से चालू कर दिया जायगा। जिस हिस्से में मिट्टी का काम समाप्त हो चुका है उसे पक्का करने का कार्य वर्षात में प्रारम्भ कर दिया जायगा। इसके लिये आवश्यक सामग्रियां एकत्र की जा चुकी हैं। जैसाकि उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है समय पर काम पूरा नहीं करने का दोष ठीकेदार पर नहीं है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।